

25 / 03 / 2023

पत्रावली पेश। पुकार कराई गई। अभियुक्त के विरुद्ध जारी जमानती वारण्ट से तामील पर्याप्त है, परन्तु अभियुक्त गैर हाजिर है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट दिनांक 10/04/2023 के लिये जारी हो

(जहाँ आरा अन्सारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज,
चम्पावत।